"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी 2007—माघ 7, शक 1928

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 19 जनवरी 2007

अधिसूचना

क्रमांक 509/तीन-10-8/2000- भाग-4.— छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्र. 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा अपने अधिसूचना क्रमांक 4670/तीन-10-8/2000 भाग-4 दिनांक 28 सितम्बर 2006 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के उक्त सारणी में अनुक्रमांक 9 तथा उससे संबंधित स्तम्भ क्रमांक (3) व (4) में वर्णित प्रविष्ठियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्ठियाँ स्थापित की जावे, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	जिला एवं सत्र न्यायालय	बैठने का स्थान/स्थानों	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
9	कोरबा	1. कटघोरा	1

Bilaspur, the 19th January 2007

NOTIFICATION

No. 509/III-10-8/2000 (Part-IV). -- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court, Chhattisgarh hereby make the following amendment in its Notification No. 4670/III-10-8/2000 (Pt-IV), dated 28th September 2006 as under, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification in the table for Serial No. 9 and further existing entries relating thereto as shown in Column No. (3) & (4) the following entries be substituted, namely :-

TABLE

Serial No.	Name of the Civil District	Court of Additional District Judge	
		Place of Sitting	Number of courts
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Korba	1. Katghora	1

बिलासपुर, दिनांक 19 जनवरी 2007

अधिसूचना

क्रमांक 511/तीन-10-8/2000- भाग-4.--- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा अपने अधिसूचना क्रमांक 4671/तीन-10-8/2000 भाग-4 दिनांक 28 सितम्बर 2006 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना के उक्त सारणी में अनुक्रमांक 9 तथा उससे संबंधित स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्थापित की जावे, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	सत्र न्यायालय	बैठने का स्थान/स्थानों
(1)	(2)	(3)
9	कोरबा	1. कोरबा 2. कटघोरा

Bilaspur, the 19th January 2007

NOTIFICATION

No. 511/III-10-8/2000 (Part-IV).-- In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court, Chhattisgarh hereby amends its Notification No. 4671/III-10-8/2000 (Pt-IV), datedt 28th September 2006 as under, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification in the table for Serial No. 9 and further existing entries relating thereto as shown in Column No. (3) the following entries be substituted, namely :-

TABLE

Serial No. (1)	Court of Sessions (2)	Ordinary Place/Places of Sitting (3)
9	Korba	1. Korba 2. Katghora

By Order of the High Court,
H. S. MARKAM, Registrar General.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2007.